

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 19.04.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा गायब लडकी को परिजनो से मिलाया गया –पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा महुली मे इवेन्ट संख्या 5471 से कालर ने एक एक लडकी के गायब होने के संबंध मे सूचना दिया । इस सूचना पर पीआरवी कर्मी तत्काल 07 मिनट मे मौके पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से लडकी को तलाश कर परिजनो को सुपुर्द किया गया तथा इस संबंध मे थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर लडकी को तलाश कर परिजनो के सुपुर्द किया गया तथा किसी प्रकार के अप्रिय घटना घटित होने से बचा लिया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी शेषनारायण, मुख्य आरक्षी रमेश सिंह यादव, हो0चा0 भीम कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 54 वाहनो से 13300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल– आज दिनांक 19-04-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 54 वाहनो से 13300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 05 अभियुक्त गिरफ्तार –

1-कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

2-धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

3-मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।



151 सीआरपीसी थाना मेहदावल

एण्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 19-04-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 18 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 58 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 05 लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

